राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक अंक 32 जनवरी–मार्च 2010 सीमित प्रसार के लिए

बजट एक विश्लेषण

राजस्थान को भी मिलेगी केंद्र से अतिरिक्त राशि

- न मजूदर ना गांव का बजट
- 24 फीसदी घटाया ग्रामीण विकास का बजट
- गरीब को सता रहा है बढ़ता कर राजस्व
- आधा रह गया है श्रमिक कल्याण का बजट
- 13 वें वित्त आयोग ने 1.5 फीसदी बढ़ाया राज्यों का हिस्सा

फरवरी और मार्च का महीना बजट का महीना होता है। इन्हीं दो महीनों में केन्द्र और राज्य सरकारें अपनी आय–व्यय का आंक़डा जनता के सामने पेश करती हैं जिसे वो बजट नाम देते हैं। देश की बहुसंख्य आबादी को जहां बजट से कोई सरकार नहीं होता वहीं मुट्ठी भर लोग बजट का अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। सत्ता पक्ष के लिए जहां हर बजट लोक कल्याणकारी और विकास को गति देने वाला होता है वहीं विपक्ष की नजर में हर बजट आम आदमी विरोधी तथा गरीबी व बेरोजगारी बढ़ाने वाला होता है। देश के समाचार पत्र और अर्थशास्त्री बजट को अपने–अपने आयामों से सकारात्मक और नकारात्मक ठहराते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत नौ मार्च को राज्य का वर्ष 2010–11 का बजट पेश किया। बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र राज्य बजट का विश्लेषण किया है जिसके कुछ निष्कर्ष यहां उजागर किए जा रहे है–:

सरकार की आय

राज्य सरकार की प्राप्तियों को प्रमुखतः दो प्रकार से देखा जाता है, राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों में सरकार को कर के रुप में प्राप्त होने वाला राजस्व, गैर कर राजस्व (ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, विभिन्न सेवाओं यथा शिक्षा, चिकित्सा आदि से प्राप्त शुल्क आदि) सहायतार्थ अनुदान आदि शामिल किया जाता है जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋणों से होने वाली प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली आदि शामिल हैं। सरकार की कुल प्राप्तियों के अंर्तगत अकेले कर राजस्व से लगभग 55 प्रतिशत प्राप्तियां होती हैं।

गरीब के लिए चिंता का सबब बन सकती है कर राजस्व में बढ़ोतरी :

राज्य के कर राजस्व में 5352 करोड़ रु. की बढ़ोतरी गरीब वर्ग की चिंता को ओर बढ़ा सकती है। राजस्थान में वर्ष 2010–11 में कर राजस्व से प्राप्त कुल आय 31273 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों से लगभग 21 फीसदी अधिक है। वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान में कर राजस्व आय 25921 करोड़ बताई गई है। पिछले साल के बजट में राज्य सरकार का 2009–10 का कर राजस्व 2008–09 के संशोधित अनुमान से मात्र नौ प्रतिशत अधिक था। अब अगर यह जानने कि कोशिश की जाए कि आखिर क्या कारण है राज्य के कर राजस्व में इतनी वृद्धि हुई है। ज्ञात हो कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 5.60 प्रतिशत से बढ़कर 5. 85 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य को केन्द्रीय करों में से 12252 करोड़ रु. प्राप्त होंगें जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 32 प्रतिशत अधिक है। बात सिर्फ यहां तक ही सीमित होती तो यह मान लिया जाता कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण निगम कर, आय कर जैसे प्रत्यक्ष करों द्वारा सरकार के खजाने में बढोतरी हुई है फिर भले ही यह भार किसी न किसी रुप में राज्य की जनता पर ही क्यों न भारी हो। समझने योग्य तथ्य यह है कि राज्य में बिक्री कर के रुप में प्राप्त होने वाली 11 हजार 730 करोड की राजस्व आय जो कि राज्य सरकार के खजाने का सबसे बड़ा स्त्रोत है, (कुल कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत) में भी 1530 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है। अगर इसमें केन्द्रीय बिक्री कर में होने वाली कमी को छोड़ दिया जाए तो राज्य द्वारा उगाहे जाने वाले अकेले बिक्री कर संग्रहण में 1700 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में बिक्री कर का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि निगम कर, आय कर जैसे प्रत्यक्ष कर आय पर आधारित होते हैं जिनसे गरीब आदमी का सीधे तौर पर कोई सरोकार नही होता है, जबकि बिक्री कर के अंर्तगत बाजार से खरीदी जाने वाली अधिकांश वस्तुओं पर कर चुकाने के बावजूद गरीब वर्ग को पता ही नहीं चलता कि सरकार के इस खजाने को भरने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है।

गौरतलब है कि राज्य में वैट की न्यूनतम दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है जिसका असर भी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर अवश्य पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा गेहुं, चावल, जौ, कोयला जैसी 14 वस्तुओं पर वैट की दर 5 प्रतिशत किए जाना और फिर बाद में भूलवश इसे केन्द्र सरकार के अधीन मामला बताकर पुनः 4 प्रतिशत किए जाना भले ही हास्यास्पद लगे लेकिन बजट घोषित होने के साथ ही बाजार में हाथों हाथ बढी कीमतों के कारण जहां राज्य के व्यापारियों ने एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर डाली, वहीं दूसरी ओर खाद्य प्रदार्थो की बढ़ी कीमतों ने भूख और महंगाई से त्रस्त गरीब जनता की एक बारगी तो की नींद ही उड़ा दी। अब देखना यह है कि राज्य बिक्री कर के रुप में जनता की जेब से निकलने वाली लगभग 1700 करोड़ रुपए. की यह राशि गरीब जनता की चिंतां में ओर कितना ईजाफा करती है।

सरकार का व्यय :

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंर्तगत किया जाने वाला व्यय भी राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के अंर्तगत विभाजित किया जाता है। इस प्रकार किए जाने वाले व्यय को आयोजना, गैर आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय के रुप में भी देखा जाता है। आयोजना व्यय के अंर्तगत पंचवर्षीय योजनाओं के अंर्तगत किया जाने वाला व्यय शामिल है जबकि गैर आयोजना व्यय में विभाग के कर्मचारियों पर किया जाने वाला व्यय, विभाग के रखरखाव पर व्यय आदि शामिल है। केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय में केन्द्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि के अंर्तगत किए जाने वाला व्यय शामिल होता है जिसमें राज्य सरकार का भी अंश शामिल हो सकता है। यहां पर राज्य के दो प्रमुख विभागों के अंर्तगत किए जाने वाले व्यय का विश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त परिणामों को बताने का प्रयास किया गया है।

आधे बजट में कैसे होगा श्रमिकों का कल्याण :

राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार श्रम एवं रोजगार विभाग के नजरिये से देखे तो लगता है राज्य के बेरोजगार श्रमिक अब पूर्णतया आत्मनिर्भर हो चुके हैं और अब उन्हे राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली कल्याणकारी योजनायों की या तो आवश्यकता ही नहीं है या फिर यह बहुत कम रह गई है। बजट के आंकडों के आधार पर देखा जाए तो वर्ष 2008–09 में राज्य श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा किया गया वास्तविक व्यय 19.73 करोड़ रु. था जिसे 2009–10 में सशोधित अनुमानों के अनुसार 15.62 करोड़ रु कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार तो इसे लगभग आधा करके 8.81 करोड़ रु. ही कर दिया गया है।

रोचक बात यह है कि गैर–आयोजना गत व्यय के अंर्तगत वर्ष 2008–09 में वास्तविक व्यय 74.02 करोड़ रु. था जिसे 2009–10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 87.18 करोड़ रु. कर दिया गया एवं वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों में इसे बढ़ाकर 87.36 करोड़ रु. कर दिया गया है।

आंकड़ों के इस खेल में ध्यान देने योग्य बात यह है कि गैर आयोजनागत व्यय का अधिकांशतः पैसा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं विभाग के संरचनात्मक रख रखाव पर खर्च किया जाता है जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ आयोजना व्यय जिसका अधिकांश पैसा श्रमिको की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर व्यय किया जाता है, में लगातार कमी होती जा रही है। एक तरफ जहां राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार बढती जा रही है वहीं दूसरी ओर बेरोजगार श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं रखी जाने वाली बजट राशि का कम किए जाना समझ से परे है। आयोजना के लिए कम होती राशि राज्य की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े करने के साथ ही इस वर्ग के कल्याण में बाधा बन सकती है।

ग्रामीण एवं शहरी विकास में भेदभाव क्यों ?

वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान के अनुसार 2706 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2010–11 के लिए 2069 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अर्थात ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 637 करोड़ रुपए (24 प्रतिशत) की कमी की गई है। जबकि दूसरी ओर शहरी विकास के लिए वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान 1735 करोड़ रुपए की तुलना में 1948 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। यानि 213 करोड़ रुपए (12 प्रतिशत) की वृद्धिकी गई है। यहां यह भी याद रखना होगा कि राज्य की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है जो कि गरीबी, बेरोजगारी, अकाल जैसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, अतः राज्य के ग्रामीण विकास बजट में लगातार होती कमी एवं शहरी विकास के बजट में होती वृद्धि राज्य की सामाजिक व्यवस्था के इन दो पहलूओं के बीच की विषमताओं को ओर अधिक बढ़ावा दे सकती है। गांवों से शहरों की ओर आजाविका की तलाश में बढ़ते पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण विकास के बजट में वृद्धि किए जाना एक सकारात्मक उपाय माना जा सकता था।

कुपोषण की जद में आधी दुनिया

आधे बच्चे भी हैं कुपोषण के शिकार

गरीबी और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण बच्चों व महिलाओं में कुपोषण एक व्यापाक समस्या बनती जा रही है। पुरुषवादी मानसिकता व अंत में बचा हुआ भोजन खाने की परंपरा ने भी महिलाओं में कुपोषण को बढ़ावा दिया है। महिलाओं में पोषण की कमी भावी पीढ़ी को भी कुपोषित बना रही है। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु के पीछे भी कुपोषण को एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन महिला तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में कोई सुधार नही हुआ है। सरकारों की उदासीनता के कारण विश्व में भारत की महिलाओं तथा बच्चों की मृत्यु दर सर्वाधिक है। राजस्थान में महिलाओं व बच्चों में पोषण का स्तर राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है।

क्र.सं.	श्रेणी	इकाई	मौजूदा स्थिति	11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य
1.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार	63	32
2.	मातृ मृत्युदर	प्रति लाख	388	148
3.	अल्प वजनता	6–14 वर्ष	36.8	–
4.	टीकाकरण	प्रतिशत	26.5	65.5
5.	एनीमिया	प्रतिशत	21.2	–
6.	संस्थागत प्रसव	प्रतिशत	32.2	70.0
7.	कुपोषण	प्रतिशत	44.0	25.3

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण व जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति निर्धारित लक्ष्यों से अभी भी कोसों दूर है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान की स्थिति ओर भी चिंताजनक बनी हुई है। भारत में वर्ष 2008 में शिशु मृत्यु की स्थिति प्रति हजार जीवित जन्म पर 53 है, जबकि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 63 है। इसी तरह वर्ष 2008 में देश में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 301 थी जबकि राजस्थान में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 388 है। राज्य में बच्चों में समपूर्ण टीकाकरण की दर केवल 26.5 प्रतिशत है जबकि राज्य में छह माह से तीन वर्ष तक की आयु के 36.8 प्रतिशत बच्ची अल्पवजनता के शिकार हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार शिशु मृत्यु दर के मामले में राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है जबकि मातृ मृत्यु दर में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है।

काम अधूरा तो कैसे होगा लक्ष्य पूरा :

महिला तथा बाल विकास विभाग के तहत राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अर्न्तगत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। योजना के पूरे होने में अभी महज दो साल का समय शेष रहा है जबकि राजस्थान में लक्ष्य पाना दूर की कौड़ी नजर आता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के तहत राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 32 निर्धारित की गई थी, जबकि वर्तमान दर 63 है। इसी तरह मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 148 निर्धारित की गई थी, जो कि वर्तमान दर 388 है। राजस्थान में बच्चों में सम्पूर्ण टीकाकरण 26.5 प्रतिशत है जबकि निर्धारित लक्ष्य 65.5 प्रतिशत था। राजस्थान में संस्थागत प्रसव की दर 32.2 प्रतिशत है जबकि निर्धारित लक्ष्य 70 प्रतिशत है। राजस्थान में बच्चों में कुपोषण की दर 44 प्रतिशत है जबकि निर्धारित लक्ष्य 25.3 प्रतिशत था।

नीति बनाने से नहीं रुकता कुपोषण :

आजीविका के साधनों में हिस्सेदारी, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं पौष्टिक आहार हासिल करने में महिलाएं हर जगह पीछे रह जाती है। महिलाओं की इस स्थिति का सीधा असर उनके तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। एक ओर राजस्थान में महिला एवं बाल विकास के संरक्षण, समानता एवं सर्वांगीण विकास के लिए बाल नीति एवं महिला नीति बनाई गई हैं वहीं दूसरी ओर महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति गम्भीर बनी हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1985 में महिला तथा बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिये महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग महिलाओं तथा बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिये समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अलावा भी अनेक अन्य कार्यक्रम लागू कराता है। महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा पोषण मद के तहत इस प्रकार कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है जिसके अन्तर्गत टीकारण, पौष्टिक भोजन, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य–शिक्षा, माताओं और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं आदि के माध्यम से महिला तथा बच्चों का सम्पूर्ण रूप से विकास हो सके।

पोषण मद के लिए नहीं है दो फीसदी राशि :

राज्य सरकार द्वारा पोषण मद के तहत समेकित बाल विकास कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्रति वर्ष बजट आवंटित किया जाता हैं। सरकार द्वारा इस मद में किये आवंटित के आकड़ें निम्न तालिका में दिये गये है।

तालिका 2 : राज्य बजट व्यय में से पोषण मद का प्रतिशत (राजस्व + पूंजीगत व्यय)

(राशि करोड़ में)

वर्ष	2007-08AE			2008-09AE			2009-10RE			2010-11BE		
	कुल राज्य बजट	पोषण	प्रतिशत	कुल राज्य बजट	पोषण	प्रतिशत	कुल राज्य बजट	पोषण	प्रतिशत	कुल राज्य बजट	पोषण	प्रतिशत
गैर आयोजना	24938.25	1.44	0.01	33664.63	2.04	0.01	33664.63	2.40	0.01	36316.93	2.47	0.01
आयोजना	8670.41	119.47	1.55	10754.75	151.15	1.63	10754.75	248.00	2.31	12300.16	324.07	2.63
सी.एस.एस	2074.63	242.26	11.68	2272.54	321.87	12.28	2272.54	394.78	17.37	3321.67	597.84	18.00
योग	35683.30	378.13	1.06	46726.03	474.42	1.18	46726.03	645.18	1.38	50994.72	924.38	1.81

AE :– वास्तविक व्यय, RE :– संशोधित अनुमान, BE:– प्रस्तावित बजट

तालिका 2 के आधार पर हम देख सकते है कि पोषण मद के तहत पांच वर्षो में राज्य बजट का बहुत कम हिस्सा इस मद में तहत व्यय किया गया है। वर्ष 2006–07 में राज्य बजट की केवल 1.12 प्रतिशत राशि पोषण मद के अन्तर्गत व्यय की गई है जबकि वर्ष 2007–08 में पिछले साल की तुलना में 1.06 प्रतिशत राशि ही व्यय की गई। वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान में (1.38) तथा 2010–11 प्रस्तावित बजट में (1.81) प्रतिशत की वद्धि देखने को मिली है जो कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। परन्तु यह कह पाना मुश्किल है कि पोषण मद के अन्तर्गत रखी गई दो प्रतिशत से भी कम राशि से कुपोषण दूर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पोषण मद के तहत पिछले 6 वर्षों में बजट का आंकलन करें तो यह सामने आता है कि प्रति वर्ष वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय की तुलना में कम हो रहा है।

पोषण के लिए नहीं मिल रहा है पूरा बजट

तालिका 3 : पिछले 6 वर्षों में पोषण मद में वास्तविक व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

वर्ष	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11
	BE	AE	BE	AE	BE	RE	BE
राजस्व व्यय – 2236	392.69	363.18	450.17	474.43	662.85	629.14	924.38
पूंजीगत व्यय –4236	17.55	14.95	26	0.65	0.0007	16.04	0.0007
राजस्व व्यय. पूंजीगत व्यय	410.24	378.13	476.17	475.08	662.85	645.18	924.38
वास्तविक व्यय प्रतिशत में		92.17%		99.77%		97.33%	

तालिका 3 के आधार पर हम पोषण मद के तहत प्रस्तावित बजट अनुमान (BE) तथा वास्तविक व्यय (AE) के आंकडों का अध्ययन कर अनुमान लगा सकते हैं कि पोषण जैसे महत्वपूर्ण मद पर भी राज्य सरकार बजट के तहत प्रस्तावित राशि को पूर्ण रूप से व्यय नहीं कर रही है। अगर हम पोषण मद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि तथा वास्तविक व्यय पर गौर करें तो हम देखते है कि वर्ष 2008–09 को छोड़कर, वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक प्रस्तावित राशि की तुलना में वास्तविक व्यय कम ही रहा है। वर्ष 2005–06 के प्रस्तावित व्यय कि तुलना में वास्तविक व्यय केवल 70.34 प्रतिशत ही किया गया। पोषण मद के तहत प्रति वर्ष वृद्धि तो पाई गई है परन्तु प्रति वर्ष वास्तविक व्यय पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2009–10 में प्रस्तावित बजट अनुमान 662 करोड़ 85 लाख रुपये रखा गया परन्तु उसे संशोधित कर केवल 645 करोड़ 14 लाख रुपये ही रखे गये है। वर्ष 2010–11 में इस मद के तहत 924 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है जो कि 6 वर्षो की तुलना में सबसे अधिक है। परन्तु प्रस्तावित की गई राशि की तुलना में वास्तविक व्यय भी किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष इस मद के तहत आवंटित राशि को ना केवल बढ़ाना चाहिये बल्कि उसी के अनुरूप वास्तविक व्यय भी किया जाना चाहिये तभी महिला तथा बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार सम्भव हो सकेंगा।

पोषण मद के तहत पूंजीगत व्यय :–

राज्य सरकार ने पोषण मद के तहत पूंजीगत व्यय पर बहुत कम बजट आवंटन किया है। इस मद में पूंजीगत व्यय एक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी भवनों, शौचालयों और हैंडपम्प आदि का निर्माण कार्य किया जाता है। महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा पोषण मद के तहत बच्चों को शुद्ध जल की आपूर्ति तथा शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना समेकित बाल विकास योजना की प्राथमिकता है।

तालिका 4 : पोषण मद के अन्तर्गत विभिन्न निमार्ण कार्यों हेतु पूंजीगत व्यय का विवरण

राशि लाख में

वर्ष	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11
पोषण मद के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय	B.E.	A.E.	B.E.	B.E.	B.E.	R.E.	B.E.
आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1755.03	1495.42	2600.02	46.61	0.04	460.00	0.04
टी.सी. आर. सी. भवनों का निर्माण	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
आंगनबाडी केन्द्रो का निर्माण (आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	1143.80	0.01
आंगनबाडी केन्द्रो पर शौचालयों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	18.21	0.00	0.01	0.00
हैड; पम्प (वर्ड बैंक)	0.01	0	0.01	0	0.01	0	0.01
कुल योग	**1755.06**	**1495.42**	**2600.04**	**64.82**	**0.07**	**1603.81**	**0.07**

तालिका 4 में राज्य सरकार की ओर से पोषण मद के तहत पूंजीगत व्यय की स्थिति की ओर यदि हम गौर करें पूंजीगत व्यय एक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में प्रस्तावित बजट की तुलना में वास्तविक व्यय अधिक रहा है। एवं 2008–09 में प्रस्तावित बजट 26 करोड़ केवल आगंनबाड़ी भवनों के निमार्ण के लिए प्रस्तावित किया गया। परन्तु आगंनबाड़ी भवनों के निमार्ण के लिए केवल 46 लाख 61 हजार रुपये तथा शौचालय निमार्ण के लिए 18 लाख 21 हजार रुपये ही व्यय किये गये। अर्थात कुल वास्तविक व्यय केवल 64 लाख 82 हजार रुपए का ही किया गया है। वही पिछले तीन वर्षों के प्रस्तावित बजट की तुलना में वर्ष 2009–10 में संशोधित अनुमान केवल में 16 करोड़ रुपये ही रखें गये है जबकि वर्ष 2010–11 में तो केवल 7 हजार रुपए ही प्रस्तवित किये गये है।

कुल मिलाकर जिस प्रकार महिला तथा बच्चों की स्थिति गम्भीर बनी हुई है, उसी प्रकार पोषण मद के अन्तर्गत बजट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। इस बात का अंदाज़ा तो हम पोषण मद के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षों में किये गये वास्तविक व्यय से ही लगा सकते है, क्योंकि पोषण मद के अर्न्तगत पिछले कुछ वर्षों में राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वास्तविक व्यय पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया है। प्रति वर्ष पोषण मद के तहत वृद्धि देखने को मिलती है, परन्तु यह विकासशील तब मानी जायेगी जब वास्तविक व्यय प्रस्तावित बजट के अनुरूप ही व्यय किया जाए।

कुल मिलाकर जिस प्रकार महिला तथा बच्चों की स्थिति गम्भीर बनी हुई है, उसी प्रकार पोषण मद के अन्तर्गत बजट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। इस बात का अंदाज़ा तो हम पोषण मद के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षों में किये गये वास्तविक व्यय से ही लगा सकते है, क्योंकि पोषण मद के अर्न्तगत पिछले कुछ वर्षों में राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वास्तविक व्यय पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया है। प्रति वर्ष पोषण मद के तहत वृद्धि देखने को मिलती है, परन्तु यह विकासशील तब मानी जायेगी जब वास्तविक व्यय प्रस्तावित बजट के अनुरूप ही व्यय किया जाए।

आपका पन्ना.....

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। बजट समाचार में प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार को आप किस रुप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरुरत है, इन तमाम पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं।

–संपादक

सरकार को नहीं अन्नदाता की चिंता

सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल घट रहा है कृषि का योगदान
कई साल से एक जगह ठहरा है उत्पादन का आंकड़ा

राजस्थान सरकार को अब अन्नदाता पर भरोसा नहीं रहा है। कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घटता जा रहा है। वर्ष 2008–09 में राज्य के सकल घरेलु उप्ताद में कृषि का योगदान 25.18 प्रतिशत था जो चालू वर्ष 2009–10 में घटकर 21.91 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सकल घरेलु उत्पाद में कृषि व पशुपालन का योगदान देखें तो यह और भी कम हो गया है। वर्ष 2008–09 में कृषि व पशुपालन का योगदान 23.24 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2009–10 में घटकर 19.74 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। सकल घरेलु उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान ही नहीं बल्कि राज्य में पिछले पांच–छह साल से उत्पादन में भी कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया है।

वर्ष 2003–04 में कृषि का उत्पादन 21.99 टन था जो 2008–09 में 21.86 टन रह गया है। राज्य सरकार अपने बजट में हर साल नए विद्युत कनेक्शन, सिंचाई क्षेत्र और बीज वितरण के आंकड़ें बढ़ा–चढ़ा कर बताती है जबकि पांच वर्ष से उसी जगह ठहरा उत्पादन का आंक़डा सरकारी दावों की पोल खोलता है। इस वर्ष राज्य सरकार ने 65 हजार विद्युत कनेक्शन व 35 हजार 500 हैक्टर सिचांई क्षेत्र ब़ढाए जाने की बात कही है। अमुमन हर बजट में सरकार इतना ही रकबा बढ़ाए जाने की बात कहती है। सरकार प्रतिवर्ष नये विद्युत कनेक्शन देने की बात करती है लेकिन सरकार के पास इस बात की जानकारी नही है कि हर साल कितने विद्युत कनेक्शन विच्छेद हो जाते हैं। राज्य में किसानों को औसतन 6–7 घंटे हर दिन बिजली मुश्किल से मिल पाती है ऐसे में धड़ाधड़ विद्युत कनेक्शन बांटने का औचित्य समझ से परे है।

इस बार राज्य में फसल कृषि कर्म के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि वर्ष 2009–10 के बजट अनुमान की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक हैं। 1300 करोड़ मे से 485 करोड़ रूपये अभावग्रस्त एवं फसल बीमा मुआवजे के रूप मे व्यय करने का अनुमान है। इस मुआवजे की राशि से किसानों को जरूर राहत मिलेगी लेकिन कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के आसार बहुत कम नजर आते हैं।

सरकार ने इस बजट मे किसानों को दो हजार रू प्रति हैक्टेयर दो हैक्टेयर तक मुआवजा देने की घोषणा की है। आमतौर पर देखा यह गया है कि इस तरह का मुआवजा किसानों तक पहुंचने से पहले ही ठिकाने लगा दिया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ की छठी ईकाई, कोटा की सातवीं इकाई एवं छबडां की पहली इकाई से विद्युत उत्पादन शुरु हो गया है। इन इकाइयों से राज्य में 945 मेगावट बिजली की वृद्धि हुई है। आंकड़ों में यह बात अच्छी लगती है लेकिन वास्तविक धरातल पर तो आज भी गांवों में 2–3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है।

कम हो रही है खेती : मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से 35 हजार 500 हैक्टेयर सिचिंत क्षेत्र विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को तब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सकेगा तब तक कि सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती। फिलहाल राज्य के बीकानेर और कोटा संभाग में सिंचित पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। पडौसी राज्यों से हमें जितना पानी मिल रहा है उससे तो पहले से तैयार सिंचित क्षेत्र में भी पूरा पानी नहीं दिया जा सकता, ऐसे में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का क्या फायदा। वर्ष 1999–2000 में सकल सिचिंत क्षेत्रफल 69 लाख 33 हजार 980 हैक्टर था जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर 80 लाख 88 हजार 445 हैक्टर हो गया । दिसम्बर 2009 तक 31 हजार हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की गई। वैसे भी राज्य में कोई साल ऐसा नहीं जा रहा जबकि पानी को लेकर आंदोलन न हो रहे हो।

राजस्थान में डार्क जोन की संख्या निरन्तर बढती जा रही है। राज्य में 206 ब्लॉक संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आ चुके हैं। प्रदेश मात्र 30 ब्लॉक ही सुरक्षित बचे है जहा पर फिलहाल पानी उपलब्ध है। राज्य में वर्ष 2007–08 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 64 लाख 44 हजार 60 हैक्टर में से 45 लाख 72 हजार 49 हैक्टर में सिंचाई कुओं एवं ट्युबवैल द्वारा होती है जो कि कुल सिंचित क्षेत्र का 72 प्रतिशत है।

सरकार ने इस बजट में आदिवासी कृषकों के लिए भी घोषणा की है। इसमें कहा है कि उद्यानिकी के तहत आदिवासी कृषकों को लहसुन, अदरक, जैसे मसालों की फसले एवं संकंर किस्म की सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 38 हजार किसानों को फायदा होगा। इस के लिए तीन करोड़ 50 लाख व्यय किए जाएंगे। किसानों को जब तक उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य मिलना सुनिश्चित नही किया जायेगा तब तक उनके लिए इस तरह की योजनाऐं फायदेमंद साबित नही हो सकती।

वित्तिय वर्ष 2009–10 में प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज के तहत उदयपुर एडं बासंवाडा जिलों में मक्का के हाइब्रिड बीजों का वितरण किया गया था लेकिन यदि पिछले साल का इन जिलों के मक्का का उत्पादन देखें तो कोई विशेष वृद्धि नही हुई। इस वर्ष से प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज बांसवाड़ा, उदयपुर, डूगंरपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलों में लागू किया जायेगा। इसके लिए 3 हजार 500 मैट्रिक टन मक्का के हाइब्रिड बीजों का वितरण किया जाऐगा। इसके लिए 35 करोड़ रू. व्यय करने का अनुमान है। इस तीन हजार 500 मैट्रिक टन से 20 किलो प्रति हैक्टेयर के अनुसार एक लाख 75 हजार हैक्टर में हाइब्रिड बीज की बुआई सम्भव है जबकि इन जिलों में लगभग 4.5 लाख हैक्टर. क्षेत्र में मक्का की बुआई होती है।

बजट भाषण में कहा है कि 16 लाख किसानों को 3 हजार 238 करोड़ रू. का फसली ऋण वितरीत किया। जबकि सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का योगदान वर्ष 2010–11 में 33328 करोड़ रहने का अनुमान है जबकि इसमें करीब दस फीसदी पशुपालन का योगदान है। अकेले कृषि क्षेत्र का तो योगदान 300042 करोड़ ही है। सरकार ने चालू वर्ष में 21 लाख किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से पांच हजार करोड़ रुपए का ऋण देने का फैसला किया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 16 फीसदी है। कृषि का बजट बढाने एवं नई–नई घोषणाओं से कृषि का उत्पादन नही बढ़ेगा इस के लिए कृषि के हर पहलू एवं शुष्क खेती पर पर विशेष ध्यान दे कर कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है।

अब समझ में आया दलित-आदिवासियों का दर्द

सरकार एससी–एसटी उपयोजना का रखेगी अलग बजट

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) अपनी स्थापना से ही राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के लिए बजट से जुड़ी समस्याओं एवं मुद्दों को उठाता रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना की दयनीय स्थिति से बार्क ने मीडिया से लेकर विधायकों तक को अवगत कराया है।

योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को आयोजना बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट का आकार इनकी जनसंख्या के अनुपात में रखना चाहिए, लेकिन राज्य के आयोजना बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट का हिस्सा क्रमशः 2 से 4 एवं 2.5 से 4.5 प्रतिशत के बीच रहा है। बार्क लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि योजना आयोग के अनुसार राज्य में आयोजना बजट का अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 17.16 प्रतिशत एवं जनजाति उपयोजना के लिए 12.56 प्रतिशत बजट आवंटित किया जाना चाहिए।

इसी कड़ी में बार्क ने 2007 में राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना बजट की स्थिति एवं विश्लेषण के सम्बंध में एक पुस्तिका (हाउ लोंग वुड दी दलित्स कन्टीन्यू टु बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर ड्यू शेयर्स) प्रकाशित की। इस पुस्तिका में यह तथ्य उजागर किया गया कि वर्ष 2002–03 से 2007–08 तक राज्य के आयोजना बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना का हिस्सा मात्र 1.5 से 2.5 प्रतिशत के बीच रहा है। बार्क ने इस बात का भी खुलासा किया था कि इस योजना की कियान्विति में योजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में भारी विरोधाभास पाया जाता है। योजना विभाग के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु व्यय की जाने वाली राशि, राज्य के आयोजना व्यय का लगभग 14–15 प्रतिशत होती है जबकि वित्त विभाग की बजट पुस्तिका में प्रत्येक विभाग के मद संख्या 789 में आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय का योग 1.5 से 2.5 प्रतिशत के करीब पाया जाता है। इस तरह की विरोधाभासी बातों से बार्क ने विधानसभा के कई सदस्यों को भी अवगत कराया जिन्होंने बाद में इसे विधानसभा में मुद्दा बनाया। बार्क की पहल पर दलितों के कल्याण पर कार्य करने वाली संस्थाएं भी जागरुक हुई।

इस वर्ष राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के लिए प्रस्तावित बजट आंकड़ों एवं बार्क के विश्लेषण से भाजपा के विधायक राव राजेन्द्र सिंह को अवगत कराया गया। वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित अयोजना बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना का हिस्सा मात्र क्रमशः 4 एवं 4.5 प्रतिशत के करीब है, जिससे राज्य में दलित समाज को लगभग 1925 करोड़ रुपए एवं आदिवासी समाज को लगभग 1174 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा। अन्य दलित एवं आदिवासी संस्थाओं ने भी जागरुक होकर इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया जिससे इस मुद्दे को और अधिक बल मिला।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) की गतिविधियाँ

बजट कार्यशाला संपन्न

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र (बार्क) और ग्रामीण स्वाभिमान संस्था की ओर से 25–26 नवंबर 2009 को जिला परिषद सीकर में दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य बजट पर आधारित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में राज्य बजट का महत्व, बजट का वर्तमान परिदृश्य, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, कृषि व अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

जनजाति उपायोजना पर कार्यशाला

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र की ओर से 23 दिसम्बर 2009 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेदला (उदयपुर) में मुद्दा आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था के बजट विश्लेषक महेन्द्र सिंह राव के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में लघु वन उपज एवं जनजाति उपयोजना पर आधारित मुद्वों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकत्ताओं ने अपनी सहभागिता दर्शाई एवं अपने विचार व्यक्त किए।

क्षमता संवर्द्धन के लिए तीन दिन का प्रशिक्षण

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र की ओर से राज्य संदर्भ केंद्र जयपुर में तीन दिवसीय संप्रेषण कौशला क्षमता संवर्द्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। बार्क के कार्यकर्ताओं व प्रतिनिधियों में संप्रेषण कौशल क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यशाला में बार्क व आस्था संस्था उदयपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संदर्भ व्यक्ति के रुप में आमंत्रित विशेषज्ञों ने कार्यकर्ताओं को सामाजिक समस्याओं के निराकरण में संस्था की सहभागिता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान की।

विधायकों के साथ बजट पर चर्चा

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क), जयपुर की ओर से सात मार्च 2010 को राज्य के विधायकों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पंत कृषि भवन सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में राज्य बजट पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बार्क के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में मौजूद विधायकों को राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया।

3099 करोड़ से वंचित दलित–आदिवासी

– आदिवासी भुगतेंगे 1174 करोड़ का नुकसान

– दलितों को भी लगेगी 1925 करोड़ की चपत

–दलित एवं आदिवासी उपयोजना में नहीं मिली निर्धारित राशि

अनुसूचित जाति उपयोजना :– राजस्थान में अनुसूचित जाति उपयोजना का माखौल उ़डाया जा रहा है। इस योजना के तहत आवंटित की जाने वाली राशि को इस वर्ग के विकास पर खर्च किए जाने की जगह अन्य कार्यो में ठिकाने लगाया जा रहा है। राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या करीब 96.94 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का करीब 17.16 प्रतिशत है। राज्य के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, करौली, भरतपुर, दौसा, चूरू एवं धौलपुर जैसे जिलों में अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या है।

राज्य के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में अनुसूचित जाति की आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम है। राजस्थान में अनुसूचित जाति से जुडे लोग मुख्य रुप से सफाई एवं अस्वच्छ कर्मगार, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषक एवं दिहाड़ी मजदुर के रुप में कार्य करके अपनी आजीविका चलाते है। इस वर्ग के लोग सदियों से सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव, अन्याय एवं शोषण के कारण सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुऐ हैं। अतः इनको विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाने एवं सामाजिक–आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ बनाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना (जनजातियों के लिये जनजाति उपयोजना) बनाई गयी।

योजना आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य को अपने आयोजना बजट का राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति उपयोजना का बजट आवंटित करना चाहिए।

राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या 17.16 प्रतिशत है अतः राज्य के आयोजना बजट का 17.16 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए आवंटित एवं व्यय होना चाहिए था। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति उपयोजना में 1.5 से तीन फीसदी के बीच ही व्यय किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने वर्ष 2010–11 के बजट में आयोजना बजट का मात्र चार प्रतिशत हिस्सा ही अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए रखा है।

राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना की स्थिति :

तालिका –1 : (राशि– करोड़ में)

वर्ष	2007–08 वास्तविक	2008–09 वास्तविक	2009–10 संशोधित	2010–11 प्रस्तावित
राज्य आयोजना	10987.37	12190.10	13530.06	14708.61
अनुसूचित जाति उपयोजना	253.38	381.80	400.41	598.99
राज्य आयोजना में अ. जा. उ. का प्रतिशत	2.31	3.13	2.96	4.07

स्रोत : राजस्थान बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

तालिका 1 के अनुसार वर्ष 2007–08 में राज्य के आयोजना व्यय में से 2.31 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये व्यय की गयी तथा वर्ष 2008–09 में इसे कुछ बढाकर करीब 3.13 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना को पुनः कम करके मात्र 2.96 प्रतिशत कर दिया गया एवं चालू वर्ष के लिए 4.07 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त स्थिति यह दर्शाती है कि राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 17 फीसदी राशि खर्च किया जाना अभी दूर की कौ़डी है। सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण इस वर्ष भी राज्य की दलित जनसंख्या करीब 1925 करोड़ के बजट से बनने वाली विकास योजनाओं से वंचित रह जाएगी।

महत्त्वपूर्ण विभागों के बजट में भी अनुसूचित जाति उपयोजना का प्रतिशत बहुत कम या नगण्य है। सामाजिक सेवा के तहत आने वाले क्षेत्र जैसे शिक्षा (0.04 प्रतिशत), चिकित्सा (0.04 प्रतिशत), परिवार कल्याण (0 प्रतिशत), एवं जलापूर्ति तथा सफाई (0.32 प्रतिशत) है। वहीं आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र जैसे– पशुपालन (3.84 प्रतिशत), मुख्य एवं लघु सिंचाई (0 प्रतिशत), ग्राम्य तथा लघु उद्योग (1.88 प्रतिशत), मृदा तथा जल संरक्षण (0 प्रतिशत) एवं उद्योग (0.74 प्रतिशत) है। कुछ विभागों ने तो अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए खाता भी नही खोला गया है।

शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण, पशुपालन एवं ग्राम्य तथा लघु उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना को हाशिये पर रखा गया है। उपरोक्त सेवाएं ऐसी है, जो दलितों का सीधे लाभांवित कर सकती हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कुछ विभागों जैसे–अनुसूचित जाति–जन जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग में इस योजना के तहत करीब 24 फीसदी राशि व्यय करना प्रस्तावित है। यह विभाग अनुसूचित जाति उपयोजना की नोडल एजेंसी भी है। इसी तरह फसल कृषि कर्म के क्षेत्र में 18.95 प्रतिशत, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर 17.07 प्रतिशत एवं पोषण के क्षेत्र पर 10.54 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है जो तुलनात्मक दृष्टि से ठीक माना जा सकता है। उपरोक्त विभागों में फसल कृषि कर्म द्वारा इस साल 18.95 प्रतिशतं का प्रावधान किया गया है। जबकि पिछले पांच वर्षों में यह आवंटन मात्र 5 से 8 प्रतिशत के बीच ही रहा है।

वर्ष 2010–11 के आयोजना बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए कुल चार प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2007–08 के दौरान वास्तविक व्यय 2.36 प्रतिशत रहा एवं वर्ष 2008–09 में वास्तविक व्यय कुछ बढकर 3.13 प्रतिशत रहा। वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट में इसे कम करके 2.96 प्रतिशत कर दिया गया। सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण समाज में दलित एवं अन्य वर्गों के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषमताएं और अधिक बढेंगी। आवश्यकता इस बात की है कि सभी विभागों में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत दलितों को सीधे तौर पर लाभांवित करने वाली योजनाएं बनाकर आयोजना व्यय को इनकी जनसंख्या के अनुपात में खर्च किया जाए।

जनजाति उपयोजना :–जनजाति उपयोजना की रणनीति भी अनुसूचित जाति उपयोजना की तरह जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक तथा इनको विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्त कराने के लिए 1979 में अपनाई गई थी। योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य को जनजाति जनसंख्या के अनुपात में जनजाति उपयोजना का बजट आवंटित करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार जनजाति जनसंख्या 70.97 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 12.56 प्रतिशत है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम 12.56 प्रतिशत जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित करना चाहिए था।

राज्य में जनजाति उपयोजना की स्थिति भी कमोबेश अनुसूचित जाति उपयोजना जैसी ही है। राज्य में वर्ष 2010–11 के बजट में जनजाति उपयोजना के लिये आयोजना बजट में मात्र 4.57 प्रतिशत प्रावधान किया गया है जो कि पिछले वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट से एक प्रतिशत अधिक है।

राज्य आयोजना में जनजाति उपयोजना का हाल :

तालिका –2 : (राशि– करोड़ में)

वर्ष	2007–08 वास्तविक	2008–09 वास्तविक	2009–10 संशोधित	2010–11 प्रस्तावित
राज्य आयोजना	10987.37	12190.10	13530.06	14708.61
जनजाति उपयोजना	423.76	384.54	483.52	672.48
प्रतिशत में	3·86	3·15	3·57	4·57

स्रोत : राजस्थान बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 में राज्य आयोजना के वास्तविक व्यय में जनजाति उपयोजना का प्रतिशत 3.86 था एवं वर्ष 2008–09 में इसको कुछ कम करके 3.15 प्रतिशत कर दिया गया। उसके बाद इसे कुछ बढाकर वर्ष 2009–10 के संशोधित एवं वर्ष 2010–11 के प्रस्तावित बजट में क्रमशः 3.57 प्रतिशत एवं 4.57 प्रतिशत किया गया। जबकि जनजाति उपयोजना के तहत राज्य आयोजना का 12.56 प्रतिशत जनजातियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था। अतः राज्य में जनजाति उपयोजना की वास्तविकता भी अनुसूचित जाति उपयोजना की तरह इसकी क्रियान्विति से बहुत पीछे है। आयोजना बजट में उचित प्रावधान नहीं होने के कारण वर्ष 2010–11 में राज्य के आदिवासी, लगभग 1174 करोड़ के बजट से वंचित हो जाऐंगे।

जनजाति उपयोजना के तहत सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग सामान्य शिक्षा में 4.85 प्रतिशत, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में 4.39 प्रतिशत, परिवार कल्याण पर 0.75 प्रतिशत, पोषण पर 0.00 प्रतिशत एवं जलापूर्ति एवं सफाई पर 1.34 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। हालांकि जनजातियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण से सम्बंधित समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक गंभीर हैं।

जनजातियों में मातृ एवं शिशु मृत्यू दर, एनिमीया, कुपोषण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी स्थितियां निम्नतम बनी हुई है वही शिक्षा निम्न स्तर एवं ढांचागत सुविधओं जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि की स्थिति भी बहुत खराब है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से उपरोक्त सेवाओ में उपयोजना बजट का पूरा प्रावधान नहीं किया जाना इस वर्ग के प्रति असंवेदनशील रवैया दर्शाता है।

इसी तरह आर्थिक सेवाओं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले विभाग पशुपालन के क्षेत्र में 6.32 प्रतिशत, सहकारिता में 0.7 प्रतिशत, मुख्य सिंचाई में 0 प्रतिशत, मध्यम सिंचाई पर 4.54 प्रतिशत, लघु सिंचाई पर 10.57 प्रतिशत, ग्राम्य तथा लघु उद्योग पर 1.58 प्रतिशत एवं ग्राम्य रोजगार के क्षेत्र में 0 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। ऐसे में जनजातियों के समग्र विकास की बात करना बेमानी लगता है।

हालांकि कुछ विभागों ने अपने आयोजना बजट में जनजाति उपयोजना का प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रखा है। उदाहरण के लिए फसल एवं कृषि कर्म में 15.17 प्रतिशत, मछली पालन विभाग में 6.19 प्रतिशत तथा उद्योग विभाग में 39.29 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इसके उलट खेलकूद तथा युवा सेवाओं के क्षेत्र में 1.02 प्रतिशत, मृदा तथा जल संरक्षण में 11.70 प्रतिशत, वानिकी तथा वन्य प्राणी क्षेत्र में 0.29 प्रतिशत, मुख्य सिंचाई के क्षेत्र में 0 प्रतिशत एवं परिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के क्षेत्र में 2.19 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग ने जनजाति उपयोजना का हिस्सा इस साल 39.29 प्रतिशत रखा है जबकि पिछले वर्षों में यह एक प्रतिशत से भी कम रहा है। उद्योग विभाग में यह ब़ढोतरी राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विनियोजन निगम (रीको) की ओर से सहायर्थ अनुदान मद में 5 करोड़ के प्रावधान के कारण हुई है जबकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस राशि को कैसे व्यय किया जायेगा?

राज्य में तीन–चार विभागों को छोड़कर लगभग अधिकतर विभागों में जनजाति उपयोजना का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि में राज्य एवं केन्द्र सरकार की बजट नीति के अंर्तगत निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों में चूकि देश व राज्य का समावेशी रुप से सामाजिक– आर्थिक विकास एक महवपूर्ण लक्ष्य है लेकिन यदि समाज के इस कमजोर वर्ग के साथ इसी प्रकार पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता रहा तो आखिर समाज का समावेशी विकास कैसे संभव हो पाएगा।

संपादक – नेसार अहमद व नगेन्द्र सिंह
संपादक मण्डल – मुकेश कुमार बंसल, रागिनी शर्मा, महेन्द्र सिंह राव
सहयोग – सीताराम मीणा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, **बुक पोस्ट**

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... **पिन कोड**.....